# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व वाद संख्या :– 47 / 2020** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020 / 00176**
**दायर दिनांक :– 04.03.2020** **निर्णय दिनांक :– 14.01.2025**

1. बादलकंवर पत्नी हणुतसिंह जाति राजपूत निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी

**वादीगण.......**

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

**प्रतिवादी........**

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

**उपस्थितः–** 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

## –:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम भीवजी का गांव पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 84 रकबा 69–08 बीघा भूमि स्थित है। ग्राम भीवजी का गांव में से नया राजस्व ग्राम हनवन्तनगर बन जाने से वर्तमान में उक्त भूमि ग्राम हनवन्तनगर में स्थित है। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा ग्राम कानासर में भूमि आंवटन बाबत कैम्प रखा गया और दिनांक 10 / 09 / 1968 को उक्त कमेटी द्वारा खसरा नम्बर 84 रकबा 69–08 बीघा में से रकबा 65–00 बीघा भूमि वादिनी को आवंटित हुई और वादिनी ने नियमानुसार आंवटन शुल्क भी अदा कर दिया था और उसी दिन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल नम्बर 339 / 68 कायम कर वादिनी को आवंटन आदेश की प्रति सुपुर्द की और पटवारी हल्का ने उसी दिन मौके पर चल कर वादिनी को कब्जा सुपुर्द कर दिया और आवंटन कमेटी ने पटवारी हल्का को माफिक आंवटन वादी के पक्ष में नामान्तरकाण भरने हेतु तहरीर जारी करदी थी और मौके पर वादिनी ने अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है तथा वादिनी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करती आ रही है और वादिनी का आज दिन तक उक्त भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं वादिनी वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहा है। इसलिये वादिनी ग्राम हनवन्तनगर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 84 रकबा 69–08 बीघा में से रकबा 65–00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है जिसका यह दावा पेश हैं। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा वादिनी को भूमि आंवटन कर देने के बाद वादिनी इसी भरम में रही कि पटवारी हल्का ने माफिक आंवटन उक्त भूमि मेरे नाम दर्ज करदी है लेकिन पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के माफिक आंवटन उक्त भूमि वादिनी के नाम दर्ज नहीं की है जिससे वादिनी को भंयकर नुकसान हुआ है तथा वर्तमान में अभी वादिनी को उक्त भूमि अपने नाम दर्ज नहीं होने से भंयकर समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम हनवन्तनगर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप

15/01/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

जिला फलोदी के खसरा नम्बर 84 रकबा 69–08 बीघा में से रकबा 65–00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है जिसका यह दावा पेश है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम हनवन्तनगर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 84 रकबा 69–08 बीघा में से रकबा 65–00 बीघा भूमि वादिनी को दिनांक 10.09.1968 को आवंटित हुई थी जिसके मिसल नम्बर 339/68 है। वर्तमान में मौके पर वादिनी का माफिक आवंटन अनुसार कब्जा काश्त है। जो पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से साबित है। वादिनी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादिनी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एव इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन आदेश, वर्तमान जमाबंदी, तहसीलदार बाप का जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हनवन्तनगर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 84 रकबा 69–08 बीघा में से रकबा 65–00 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त मूल खसरा नम्बर 84 में से 65–00 बीघा भूमि तहसीलदार फलोदी के आवंटन आदेश मिसल नम्बर 339/68 दिनांक 10.09.1968 के जरिये वादी को आवंटित हुई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सिवाय चक भूमि है जिस पर वादिनी द्वारा बाड़ा, तारबंदी व धोरापाली कर कब्जा किया हुआ है। जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। वादिनी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने उचित नहीं है। वादिनी का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

14.01.25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप**

**बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

1. बादलकंवर पत्नी हणुतसिंह जाति राजपूत निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी

**वादीगण.......**

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

**प्रतिवादी........**

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**मुकदमा संख्या :— 47/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.01.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा वाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।